झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

प्रथम अपील सं0–69 वर्ष 2019

संगीता टोपनो .... अपीलार्थी

बनाम्

श्री रितेश कुमार जायसवाल .... प्रत्यर्थी

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुभा रावत चौधरी

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

अपीलार्थी के लिए :– श्री बीरेंद्र कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिएः– श्री राजीव कु0 सिन्हा, अधिवक्ता

07/11.01.2021 अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बीरेंद्र कुमार और प्रत्यर्थी–पति के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार सिन्हा को सुना गया।

2. अपीलार्थी, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राँची द्वारा पारित दिनांक 04.01.19 के आक्षेपित निर्णय और दिनांक 17.01.2019 के डिक्री द्वारा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत संस्थित ओरिजनल सूट सं0 487/2015 के खारिज से व्यथित है।

3. इस अपील के लंबन के दौरान, पक्षों ने मध्यस्थता के दौरान एक समझौता किया है और अपनी शादी को विघटित करने का फैसला किया है। अपीलकर्त्ता ने भरण–पोषण या गुजारा भत्ता के लिए कोई दावा नहीं किया है। दोनों पक्षों ने समझौते के अन्तर्गत एक संयुक्त समझौता याचिका (आई0ए0 संख्या 30/2021) दायर की है। समझौते

की शर्तें कंडिका–3 में शामिल की गई हैं। चूंकि अपीलकर्त्ता एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है और राज्य स्वास्थ्य विभाग में काम कर रही है, वह वर्तमान में या भविष्य में भरण–पोषण या गुजारा भत्ता के लिए कोई दावा नहीं करना चाहती है; कोई भी दीवानी या आपराधिक मामला किसी भी अदालत में लंबित नहीं है। पक्षों ने समझौते के संदर्भ में तलाक की डिक्री के लिए प्रार्थना की है। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि उनके विवाह के विघटन का डिक्री पारित करके पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आलोक में अपील का निपटारा किया जा सकता है।

4. हमने पक्षों के बीच हुए समझौते और उसे एक संयुक्त समझौता याचिका (आई0ए0 संख्या 30/2011) के द्वारा अभिलेख पर लाए गए, के आलोक में पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार किया है। चूंकि पक्षों ने इस अपील की पेंडेंसी के दौरान समझौता किया है, इसलिए गुणागुण के आधार पर इस अपील को निर्णित करने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार, इस अपील का निपटारा पक्षों के बीच हुए समझौते के निबंधन में किया जाता है। पक्षों के बीच विवाह का विघटन किया जाता है। तद्नुसार, एक डिक्री तैयार की जाए। समझौता की शर्तें डिक्री का हिस्सा बनेगी। आई0ए0 का निपटारा किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)

(अनुभा रावत चौधरी, न्याया0)